न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 148 / 24
जीसीएमएस नं. 2024 / 372

दायर दिनांक: 16.10.2024

उनवान

सूर्यकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री कमल चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण नि. बारौली तह. भुसावर जिला भरतपुर हाल नि. बी–512 महेश नगर, सुदामा कुटी मार्ग, टोंक फाटक, जयपुर राज.।

——वादी

बनाम

1 अभिषेक शर्मा पुत्र श्री किशन लाल शर्मा जाति ब्राह्मण नि. केसरा, तह. नदबई जिला भरतपुर हाल नि. सी–111 जे.डी.ए. पार्क, 80 फुट रोड, महेश नगर, जयपुर राज.।
2 कीर्ति पुत्री श्री किशन लाल शर्मा जाति ब्राह्मण नि. केसरा, तह. नदबई जिला भरतपुर पत्नि श्री अतुल हाल नि. सी–112 जे.डी.ए. पार्क, 80 फुट रोड, महेश नगर, जयपुर राज.।
3 ज्योति पुत्री श्री किशन लाल शर्मा पत्नि श्री प्रशान्त मुदगल जाति ब्राह्मण नि. केसरा, तह. नदबई जिला भरतपुर हाल नि. फ्लैट नं. सी–301, पर्ल ग्रीन ऐकर्स, श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर राज.।
4 नीलम पुत्री श्री किशल लाल शर्मा पत्नि विश्वदीपक जाति ब्राह्मण नि. केसरा तह. नदबई हाल नि.– 294 शास्त्री कॉलोनी, नारायणपुर रोड, बानसूर हाल जिला कोटपुतली–बहरोड राज.।
5 मधुवाला पुत्री स्व. श्री कमल चन्द शर्मा पत्नि प्रहलाद कुमार जाति ब्राह्मण नि. बारौली हाल नि.– 35 भीतर बाड़ी, बयाना जिला भरतपुर राज.।
6 रविकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री कमल चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण नि. बारौली हाल नि.– 369 सूर्यनगर, रिद्धी–सिद्धी चौराहे के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर राज.।
7 शैलेश पुत्र स्व. श्री कुंजलाल शर्मा जाति ब्राह्मण नि. बारौली हाल नि.– 33 ए, गणेश विहार रिद्धी–सिद्धी चौराहा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर राज.।
8 संजय पुत्र स्व. श्री कुंजलाल शर्मा जाति ब्राह्मण नि. बारौली हाल नि.– 78 ए, गणेश विहार, रिद्धी–सिद्धी चौराहा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर राज.।
9 सतीश कुमार पुत्र स्व. श्री कुजलाल शर्मा जाति ब्राह्मण नि. बारौली हाल नि.– 361 महेश नगर, जयपुर राज.।
10 सुनील कुमार पुत्र स्व. श्री कुंजलाल शर्मा जाति ब्राह्मण नि. बारौली हाल नि.– 601 सूर्यनगर, गोपालपुरा बाईपास, सुदामा कुटी मार्ग, जयपुर राज.।
11 सुशील पुत्र स्व. श्री कुंजलाल शर्मा जाति ब्राह्मण नि. बारौली हाल नि.– 33 ए, गणेश विहार रिद्धी–सिद्धी चौराहा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :—

1. श्री सूर्यकान्त शर्मा ——वादी
2. श्री पवन तिवारी ——प्रति. सं. 1,2,3,5 लगा. 8 व 10,11

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

निर्णय दिनांक 27.01.2025

वकील वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 1186, 1241, 1265 एवं 120 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम बारौली तह. भुसावर में स्थित है, जिनको वादी अरसे दराज से काश्त करता आ रहा है एवं काविज आराजी है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 के बाबा श्यौबक्स पुत्र कन्हैया का सन् 1980 में निधन होने के बाद, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 के बीच, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 के बाबा श्यौबक्स के वारिस एवं उनके पुत्र स्व. श्री कुंजलाल शर्मा व स्व. श्री कमल चन्द शर्मा ने मिल बैठकर पारिवारिक सैटिलमैन्ट कर बाबा श्यौबक्स की संपूर्ण खातेदारी की आराजी का विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 को अलग-2 सौंप दिया था। जिसके आधार पर वादी के हिस्से में उक्त खसरा नंबर 1186, 1241, 1265 एवं 120 का 1/2 हिस्सा को सुपुद्र किया था, जिन पर वादी लंबे समय से काविज होकर काश्त करता आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 भी अपने-2 हिस्सों को लंबे समय से काविज होकर काश्त करते आ रहे है।

रेवेन्यू रिकॉर्ड मे खसरा नंबर 120 का 1/2 आज भी बाबा श्यौबक्स के नाम से खातेदारी दर्ज है जबकि सन् 1980 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी खातेदारी की कृषि भूमि का नामान्तकरण उनके वारिस स्व. श्री कुंजलाल शर्मा एवं स्व. श्री कमल चन्द शर्मा के नाम खुल गया था, किन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त खसरा नंबर 120 का आधा हिस्से पर आज भी बाबा श्यौबक्स की खातेदारी दर्ज है, जबकि उक्त हिस्से को वादी को सौंपा गया था और वादी लंबे समय से उस पर काविज है व काश्त करता आ रहा है। अतः वादी खसरा नंबर 120 के 1/2 हिस्से पर श्यौबक्स के स्थान पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रतिवादीगण ने जून 2024 में फसल बुवाई के समय पर वादी को धमकी दी है कि बाबा श्यौबक्स की आराजी का पुनः बंटवारा करेंगे, जबकि वादी ने अपने हिस्से की उक्त कृषि भूमि को लंबे समय से मेहनत कर उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाया है। इसलिये बाबा की आराजी का पुनः बंटवारा करने की सूरत में वादी की मेहनत बेकार जायेगी तथा वादी को भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि आ.ख.नं. 1186, 1241, 1265 एवं 120 का 1/2 हिस्सा श्यौबक्स के स्थान पर सूर्यकान्त को खातेदार घोषित किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,5 लगायत 8,10,11 की ओर से वकालतनामा श्री पवन तिवारी एड. द्वारा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4,9 की बाद तलवी कोई उपस्थित नहीं आया, जो जरिये डाक ट्रैक से जाहिर है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 4 व 9 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाती है।

प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,5 लगायत 8,10,11 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया तथा उक्त प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,5 लगायत 8,10,11 में कोई विवाद नहीं है तथा अवगत कराया गया कि वादी ख. नं. 1186, 1241, 1265 व 120 का 1/2 हिस्सा श्यौबक्स के स्थान पर काविज होकर काश्त

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

करता आ रहा है। इसलिए उक्त खसरा नंबरों पर वादी को काश्तकार घोषित करने बाबत सहमति दी है तथा उनके द्वारा जवाब दावे में भी दावा स्वीकार किया गया है।

वादी द्वारा दावे के संबंध में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई है–

1. आया वादी ख.नं. 120 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम बारौली तह. भुसावर पर श्यौबक्स के स्थान पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. आया वादी आ.ख.नं. 1186, 1241, 1265 वाके ग्राम बारौली तह. भुसावर पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।
3. आया वादी ख.नं. 1186, 1241, 1265 व 120 का 1/2 पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।
4. अनुतोष––

द्वारा प्रेषित उक्त तनकीयात पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा सहमति जताई गई। अतः तनकीयात संख्या 1,2,3 वादी के हक में प्रतिवादीगण अधिवक्ता की सहमति होने से स्वीकार है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की दलीलों एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संख्या 2075–2078, जवाब दावा एवं प्रस्तुत राजीनामा का भली भाँति अध्ययन किया गया। जिसके आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 1186, 1241, 1265 एवं 120 का 1/2 हिस्सा श्यौबक्स के स्थान पर वादी को खातेदार दर्ज किया जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)